न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 06/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 ओमप्रकाश पुत्र नानुराम आयु 48 साल।
2 हनुमान पुत्र नानुराम (मृतक)।
2/1 छोटी देवी बेवा हनुमान उम्र 53 वर्ष।
2/2 सतीश कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र हनुमान।
2/3 प्रदीप कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र हनुमान।
2/4 विक्की उम्र 27 वर्ष पुत्र हनुमान।
2/5 कृष्णा पुत्री हनुमान उम्र 25 वर्ष।
3 बाबुलाल पुत्र हरिराम आयु 45 वर्ष।
4 हेमराज पुत्र हरिराम आयु 40 वर्ष।
5 राजू पुत्र हरिराम आयु 27 वर्ष।
6 गुलाबी देवी बेवा हरिराम आयु 65 वर्ष।
7 सुरेश कुमार आयु 33 साल पुत्र सुण्डाराम।
8 रमेश कुमार आयु 30 साल पुत्र सुण्डाराम।
9 राकेश कुमार आयु 28 साल पुत्र सुण्डाराम।
10 प्रवीण आयु 27 साल पुत्र सुण्डाराम।
11 रामेश्वरी देवी बेवा सुण्डाराम आयु 55 साल।
12 भंवरी देवी आयु 68 साल पुत्री नानुराम।
13 गोदावरी देवी आयु 66 साल पुत्री नानुराम।
14 चन्दा देवी आयु 55 साल पुत्री नानुराम।
15 मुन्नी उर्फ गुन्दी देवी आयु 52 साल पुत्री नानुराम।

Lav

16 गुड्ढ़ी देवी आयु 50 साल पुत्री नानुराम समस्त जाति रैगर निवासीगण लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2014
पत्रावली संख्या 7/2006 प्रार्थना पत्र 14(4)
उनवानी राजस्थान राज्य बनाम नानूराम रैगर
न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

उपस्थित

1. श्री बजंरग सिंह राजपुत अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः— 28-12-18

Lar

यह अपील विद्वान जिला कलक्टर सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 7/2006 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ ने विद्वान जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अप्रार्थी नानुराम पुत्र मोटाराम जाति रैगर निवासी लोसल को ग्राम हरिपुरा तन कांकरा में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 24/2 एवं 25/1 आंवटन की शर्तो के अनुसार काश्त नही करने पर नियम 14(4) के अन्तर्गत आंवटन आदेश एवं इसके आधार पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 37/15.06.1970 निरस्त कर विवादित भूमि को राजकीय चारागाह घोषित करने का निवेदन किया। विद्वान जिला कलक्टर ने उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त विचाराधीन निर्णय से आंवटन में हस्तक्षेप करना उचित नही बताते हुये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के प्रावधान अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को समुचित निर्णयार्थ रेफरेन्स करने के आदेश दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय के समय अपीलांट का पिता मर चुका था मृतक व्यक्ति के विरूद्व कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है विचाराधीन निर्णय विधि पूर्ण नही है नियम 14(4) के अन्तर्गत रेफरेन्स का कोई प्रावधान नही है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर आवंटी द्वारा आंवटन शर्तो की पालना में काश्त नही की जा रही है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अपील खारिज की जायें।

Lam

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नियम 14(4) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि के सन्दर्भ में किया गया आवंटन निरस्त कर विवादित भूमि राजकीय चारागाह घोषित करने का निवेदन किया गया है। प्रथम तो आंवटी की मृत्यु विचाराधीन निर्णय से पूर्व होने का कथन अपीलांट द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है। द्वितीय विद्वान जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार का आवेदन ना तो स्वीकार किया गया है न ही खारिज किया गया है। अपितु विधिक प्रक्रिया के विपरित प्रकरण में रेफरेन्स के आदेश दिये गये है विधि अनुसार नियम 14(4) के आवेदन में ऐसा आदेश विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण इन निर्देशों के साथ विद्वान जिला कलक्टर सीकर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि अनुसार निर्णय पारित करे अपीलांट दिनांक 24.01.2019 को विद्वान जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-12-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

Sd/- 28/12/18

(करतार सिंह पूनियां)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर